राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प0 3(3)साप्र/6/2008 जयपुर, दिनांक 28.2.2014

:– अधिसूचना :–

राजस्थान की राज्यपाल महोदया उन समस्त शक्तियों का जो उन्हें इस निमित सक्षम बनाती हैं का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.6.2009 को निरस्त करते हुए राजस्थान राज्य में वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा एवं डी.आई.आर. के अन्तर्गत राज्य के कारागारों में निरूद्ध राज्य के मूल निवासियों को पेंशन दिये जाने संबंधी दिनांक 12.9.2008 को जारी राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियो को पेंशन नियम 2008 को निम्नांकित संशोधन के साथ एतद् द्वारा बहाल किया जाता है:–

नियम 6: राज्य सरकार द्वारा आवेदन हेतु निर्धारित तिथि 30 अप्रैल, 2014 तक आवेदन करने वाले व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिनांक 1 जनवरी, 2014 से देय होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन संबंधित अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक से ही लाभ देय होगा।

नियम 10: मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों को पेंशनः– इन नियमों के अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अध्यधीन को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों अनुसार पेंशन देय होगी। जिन व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि (30 अप्रैल, 2014) तक संबंधित जिला कलेक्टर के पास प्राप्त हो जावें, उनमें से जिन व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत होगी वह दिनांक 01 जनवरी, 2014 से देय होगी।

(ग) पेंशन की दरः– पैरा 10 (क) मे वर्णित सभी मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों को एवं दिवंगत मीसा/ डी.आई.आर. बन्दियों की पत्नी/पति को रूपये 12,000/–(अक्षरे रूपये बारह हजार मात्र) मासिक पेंशन देय होगी।

(घ) यह और कि किसी मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों को एवं दिवंगत मीसा/ डी.आई.आर. बन्दियों की पत्नी/पति, पेंशनर को पेंशन के साथ रूपये 1,200/–(अक्षरे रूपये एक हजार दो सौ मात्र) प्रतिमाह चिकित्सा सहायता नकद देय होगी जिसके लिए किसी प्रकार के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

लगातार.....2

नियम 20: इन नियमों के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को संबधित जिला कलक्टर को आवेदन प्रपत्र दिनांक 30 अप्रेल 2014 तक प्रस्तुत करना होगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय–2) द्वारा उनकी आई.डी. संख्या 101400616 दिनांक 15.2.2014 से प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश श्रीवास्तव)
अति0 मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. प्रमुख सचिव, / निजी सचिव, माननीय मुख्यमत्री,राजस्थान।
2. समस्त निजी सचिव, मंत्री / राज्यमंत्रीगण, राजस्थान।
3. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्तगण, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. वित्त (व्यय–2) विभाग।
8. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
9. वरि0 लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
10. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, जयपुर को आज ही राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

(चन्द्र शेखर शर्मा)
शासन उप सचिव

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

सत्यमेव जयते

साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority*

भाद्र 26, बुधवार, शाके 1930–सितम्बर 17, 2008

Bhadra 26, Wednesday, Saka 1930–September 17, 2008

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड–(I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

आदेश

जयपुर, सितम्बर 12, 2008

जी.एस.आर. 112:–राजस्थान राज्य में 25 जून 1975 से मार्च 1977 के दौरान घोषित आपातकाल में राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डी.आई.आर. के अन्तर्गत राज्य के कारागारों में निरूद्ध राज्य के मूल निवासियों को पेंशन व चिकित्सा भत्ता देने हेतु राजस्थान के राज्यपाल, उन समस्त शक्तियों का, जो उन्हें इस निमित्त समक्ष बनाती हैं, प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

<u>राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों को पेंशन नियम, 2008</u>

1. **संक्षिप्त नाम**.–इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्थान मीसा एवं डी. आई.आर. बन्दियों को पेंशन नियम, 2008 है।

2. यह नियम इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 8–5–2008 द्वारा जारी नियमों के अतिक्रमण में जारी किये जाते हैं।

3. यह नियम राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

4. **प्रसार एवं निरसन**:– इन नियमों का प्रसार, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अधीन पुनर्गठित सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

5. ऐसा व्यक्ति, जो राजस्थान का अधिवासी हो, इन नियमों के अधीन सहायता पाने का हकदार होगा।

6. राज्य सरकार द्वारा आवेदन हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदन करने वाले व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिनांक 1 अप्रेल 2008 से देय होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन संबंधित अधिकारी को प्राप्त होने के दिनांक से ही लाभ देय होगा।

7. मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से बन्दी रहने का प्रमाण–पत्र, व्यक्ति जहां बन्दी रहा हो, यथा जेल/पुलिस थाना का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जेल की दशा में जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की दशा में जिला पुलिस अधीक्षक का प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. परिभाषाएं :–जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :–

(I) "मीसा बन्दी" से अभिप्रेत है राजस्थान के अधिवासी जिनको राजस्थान राज्य में समाविष्ट क्षेत्र में वर्ष 1975–77 के दौरान राजनैतिक या सामाजिक कारणों से राष्ट्रीय आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 26) (निरसित) के अन्तर्गत राज्य के किसी कारागार में बन्दी बनाया गया हो।

(II) "डी.आई.आर. बन्दी" से अभिप्रेत है राजस्थान के अधिवासी जिनको राजस्थान राज्य में समाविष्ट क्षेत्र में वर्ष 1975–77 के दौरान राजनैतिक या सामाजिक कारणों से भारत रक्षा नियम, 1971 (डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, 1971) (निरसित) के, अन्तर्गत राज्य के किसी कारागार में बन्दी बनाया गया हो।

(III) "सहायता" से इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन व चिकित्सा सहायता अभिप्रेत है।

9. सहायता के रूप में :– इन नियमों के अधीन जिन रूपों में राज्य सरकार के स्व–विवेकानुसार सहायता स्वीकार की जा सकेगी, वे रूप निम्नलिखित में से कोई एक या सभी होगें अर्थात् :–

(I) वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा/डी.आई.आर. के अन्तर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों से बन्दी बनाये गये व्यक्ति एवं

दिवंगत मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों की पत्नी/पति को जवीन पर्यन्त या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए पेंशन,

(II) वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा/डी.आई.आर. के अन्तर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों से बन्दी बनाये गये व्यक्ति को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर बन्दियों की पत्नी/पति को चिकित्सा सहायता

10. मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों को पेंशन :– इन नियमों के अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अध्यधीन, निम्नलिखित को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों अनुसार पेंशन देय होगी। जिन **व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि** तक संबंधित जिला कलेक्टर के पास प्राप्त हो जावें, उनमें से जिन व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत होगी वह **दिनांक 1 अप्रेल 2008 से देय होगी :–**

(क) ऐसे मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दी व्यक्ति जो वयस्क होने के पश्चात् उक्त कानून के अधीन कम से कम एक माह तक जेल में रहा हो, परन्तु यह तब जबकि वह क्षमायाचना के पश्चात् जेल से न छूट हो।

(ख) इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले मीसा/डी.आई.आर. बन्दी की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/पति द्वारा मृत्यु दिनांक से तीन माह के भीतर आवेदन करने पर पेंशन, मृत्यु दिनांक से देय होगी।

(ग) पेंशन की दर :– पैरा 10 (क) में वर्णित सभी मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दियों को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों की पत्नी/पति को रूपये 6000/– (अक्षरे छह हजार मात्र) मासिक पेंशन देय होगी।

(घ) यह और कि किसी मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दी एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों की पत्नी/पति, पेंशनर को पेंशन के साथ रूपये 600/– प्रतिमाह चिकित्सा सहायता नकद देय होगी जिसके लिए किसी प्रकार के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होगी, किन्तु इससे

अधिक राशि के वास्तविक व्यय के पुनर्भरण के लिए पेंशन के साथ प्राप्त की गई राशि सहित अधिक राशि के बिल भी, राजकीय कर्मचारियों के समान संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करने होगें। पेंशनर को वित्तीय वर्ष (1 अप्रेल से 31 मार्च) भर में चिकित्सा हेतु दिये जाने वाले अनुदान की राशि समस्त प्रकार से रूपये 10,000/– से अधिक नहीं होगी।

(ण) ऐसे मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों को एवं दिवंगत मीसा/डी. आई.आर. बन्दियों की पत्नी/पति को उक्त चिकित्सा सहायता देय नही होगी जो राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम (निगम व बोर्ड)/केन्द्र सरकार में नियोजित है/नियोजित थे अथवा उन्हें चिकित्सा सहायता कहीं ओर से प्राप्त हो रही है।

(च) राज्य सरकार, स्व–विवेकानुसार :–

इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय किसी मीसा एवं डी. आई.आर. बन्दी द्वारा किया गया सहायता का कोई दावा इस नियम के अधीन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

11. इन नियमों के अधीन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पेंशन की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अनुशंस जिला स्तर पर निम्न समिति द्वारा की जाएगी :–

(i) जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
(ii) जिले के समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
(iii) जिला जेल अधीक्षक	सदस्य

समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन केवल उन व्यक्तियों को ही प्राप्त हो जो मीसा या डी.आई.आर. कानून के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से बन्दी हुए थे तथा उनका तत्समय पुलिस रिकार्ड में कोई पृथकतः आपराधिक/असामाजिक गतिविधियों का इतिहास नहीं था अर्थात पेंशन देते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि यह पेंशन मूलतः ऐसे व्यक्तियों को दी जाऐ जो राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डी. आई.आर. कानून के अधीन बन्दी हुए थे तथा वे मूलतः आपराधिक चरित्र के नहीं थे।

इन नियमों के अधीन उक्त जिला समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर द्वारा पेंशन का स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा।

12. इन नियमों के अधीन उक्त जिला समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर द्वारा जारी किये गये स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश के विरूद्ध संबंधित व्यक्ति यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो राज्य सरकार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक के 30 दिन के अन्दर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

13. राज्य सरकार नियम 12 के अधीन प्राप्त अभ्यावेदनों का गुणदोष के आधार पर निराकरण आवेदन प्राप्ति की दिनांक से 45 दिन के अन्दर करेगी जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

14. इस नियम के अधीन मिलने वाली प्रत्येक पेंशन तथा उसके बराबर मिलते रहने के लिए सदाचरण सर्वदा एव विवक्षित शर्त होगी, पेंशन धारक यदि किसी गम्भीर अपराध में सिद्धदोष ठहराया जावे या गम्भीर अवचार का दोषी पाया जावे तो पेंशन या पात्रता नहीं होने के बावजूद गलत जानकारी के आधार पर पेंशन प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति आदेश निरस्त करते हुए प्राप्त की गई पेंशन की राशि संबंधित व्यक्ति से एक मुश्त वसूल कर ली जाएगी, यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई राशि वापिस नहीं की जाती है तो उसे भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी।

15. आदेश निरस्त करने का अधिकार नियम–11 में वर्णित जिलास्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर को होगा।

16. कोषालय संहिता और सरकारी पेंशन भोगियों को लागू होने वाले नियमों के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित इन नियमों के अधीन पेंशन पाने वालों पर भी लागू होंगे।

17. इन नियमों के अधीन स्वीकृत पेंशन पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :–

2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

800–अन्य व्यय

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से

[01] मीसा बन्दियों को पेंशन

24–पेंशन और उपदान (आयोजना भिन्न)

18. (1) इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए आवेदन–पत्र (सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो सहित) सलंग्न प्रपत्र में जिन आधारों पर पेंशन का दावा किया गया हो उसका पूरा ब्यौरा देते हुए तथा मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से बन्दी होने संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक , जेल से प्राप्त कर संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे, जो ऐसे प्रमाण–पत्रों को पुलिस अधीक्षक/अधीक्षक जेल कार्यालय से पुष्टि के बाद, प्रकरण को जिला स्तर की समिति के समक्ष रखेंगे।

(2) आवेदक यदि शारीरिक या आर्थिक विपन्नता के कारण संबंधित जेल से प्रमाण–पत्र पाने में समर्थ न हो तो उसके निवेदन एवं शपथ–पत्र के आधार पर संबंधित जेल से प्रमाण–पत्र पाने के लिए जिला कलेक्टर भी कार्यवाही कर सकेगा।

19. प्रक्रिया :–

(i) इन नियमों के अधीन सहायता के लिए आवेदन निम्न प्रारूप में किया जावेगा तथा दावेदार एवं उसके संरक्षक द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जावेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक से अभिस्वीकृति पत्र के साथ भेजा जावेगा।

(ii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर साधारणतया विचार नहीं किया जावेगा। यदि राज्य सरकार इस तिथि के बाद प्राप्त हुए पत्रों पर विचार करती है एवं यदि पेंशन स्वीकृति की जाती है तो कारण लिखित में अंकित करते हुए आवेदन की तिथि से पेंशन देय होगी।

(iii) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ आवेदन की एक प्रति तथा उसमें वर्णित तथ्यों के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य जो कोई हो, सलंग्न करने होंगे।

20. इन नियमों के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने के छः माह के भीतर पात्र व्यक्तियों को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

21. साधारण खण्ड अधिनियम का लागू होना :–राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 के उपबन्ध इन नियमों के निर्वचनार्थ उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि राजस्थान विधि निर्वचन के लिए लागू होते हैं।

राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बन्दी को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर. बन्दी की पत्नी/पति को पेंशन हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदन पत्र संबंधित जिला कलेक्टर को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है।

	आवेदक का पासपोर्ट साईज का सत्यापित फोटो लगावें

1.	नाम आवेदक	
2.	पूरा पता :– 1. वर्तमान पता 2. कारागार में गये उस समय का पता (परिचय प्रमाण–पत्र–राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन नम्बर आदि सलंग्न करें)	1. 2.
3.	जन्म तिथि तथा 1–4–2008 को आयु	
4.	मीसा/डी.आई.आर. बन्दी की पत्नी/पति का नाम एवं पूरा पता	
5.	राष्ट्रीयता एवं वर्तमान व्यवसाय	
6.	आवेदक का पहचान चिन्ह	
7.	राजस्थान के मूल निवासी होने के प्रमाण–पत्र का विवरण :– 1. जारी होने की तिथि 2. जारी होने का स्थान 3. कार्यालय	

8.	मीसा/डी.आई.आर. अन्तर्गत जिस कारागार में बन्दी रहे उसका विवरण, जेल अवधि संबंधित जेल अधीक्षक के प्रमाण–पत्र सहित	
9.	मीसा/डी.आई.आर. बन्दी बनाये जाने का कारण	
10.	कारागार से रिहा होने का कारण व दिनांक	
11.	राजनैतिक दल/आन्दोलन से संबद्धता का विवरण	
12.	अन्य विवरण	

मैं सत्यनिष्ठा से यह सत्यापित करता हूँ कि उक्त आवेदन में दी गई जानकारी सही है तथा मैं वचन देता हूँ कि राजस्थान मीसा/डी.आई.आर. बन्दियों को सम्मान पेंशन नियम, 2008 का पालन करूंगा/करूंगी।

स्थान.....

तिथि.....

हस्ताक्षर.....

पता.....

.....

जिला.....

[संख्या प.3 (3) सा.प्र./6/08]

राज्यपाल के आदेश से,

तपेश पवार,
प्रमुख शासन सचिव
सामान्य प्रशासन एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।